



संजय गॉंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)
Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

पत्र.सं०-पीजीआई/अधि०/पत्रा० आर०एस०डी०सं०-3887 /एफआई/361/2025 दिनांक: 24-4-2025

कार्यालय आदेश

शासनादेश सं० 2/2025/वे०आ०-2-77/दस-2025-ई-प-क- सं०-1846680 दिनांक 10 फरवरी 2025 के द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में आ रही कठिनाइयों के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश पारित किये गये हैं :-

1. वित्त विभाग के पत्र सं०-60/2016-वे०आ०-2-1375/दस-2016 दिनांक-21.11.2016 के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाये कि दिनांक-21.11.2016 के पूर्व के ऐसे प्रकरण जिनमें प्रोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किये गये हों उनमें कार्मिक से संलग्न प्रारूप पर इस आशय की सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो गया हो तो सम्बंधित कार्मिक के देयकों से वसूली/समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

इसी प्रकार दिनांक-21.11.2016 से इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक के ऐसे प्रकरण जिनमें प्रोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किये गये हों परन्तु सम्बंधित कार्मिक से संलग्न प्रारूप पर सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग प्राप्त नहीं किया गया है तो उनसे भी इस आशय की सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाये कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो गया हो तो सम्बंधित कार्मिक के देयकों से वसूली/समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा अपने विभागों के कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि वेतन निर्धारण के प्रारूप, जिसका सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग एक अनिवार्य एवं अविभाज्य अंश होगा, को कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के प्रत्येक वेतन निर्धारण के अवसर पर सेवा पुस्तिका में सम्बंधित कार्मिक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करते हुये सेवा पुस्तिका में यथास्थान संलग्न किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी सेवा सम्बंधी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप का अंग बनाया जाना संलग्न प्रारूप के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।

3. समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सेवा सम्बंधी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप का अंग बनाते हुये कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच आवश्यक रूप से उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाये।


4. ये भी निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में संलग्न प्रारूपानुसार वेतन निर्धारण एवं सहमति पत्र सेवा पुस्तिका में संलग्न होते हुये भी त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जांच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी व सम्बंधित कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक व वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के लिये उत्तदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

5. शासनादेश में संलग्न प्रारूप के अनुसार सेवा सम्बन्धी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप एवं सेवापुस्तिका का अंग न बनाये जाने की दशा में अधिक भुगतान के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10 फरवरी, 2025 में प्रदत्त प्राविधानों के आलोक में आदेश पारित किये जाते हैं कि प्रतिपादित व्यवस्थानुसार संस्थान के प्रोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान/ ए0सी0पी0एस0/एम0ए0सी0पी0एस0 एवं अन्य लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिकों से अण्डर टेकिंग/सहमति पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में उक्त लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिकों से कार्यालय आदेश के साथ संलग्न विकल्प पत्र/सहमति पत्र पर विकल्प/सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये। निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर विकल्प/सहमति स्वीकार नहीं किया जाये।

उपरोक्त प्रक्रिया संस्थान के तीनों अधिष्ठानों पर समान रूप से प्रभावी होगी।


संलग्नक— शासनादेश दिनांक 10 फरवरी, 2025 एवं विकल्प पत्र/सहमति पत्र का प्रारूप।



(प्रो. राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. अपर निदेशक।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
3. वित्त अधिकारी।
4. कार्यपालक कुलसचिव।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)।
6. विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0 को इस आशय से कि संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. संस्थान के समस्त कार्मिकों को सूचना पट्ट/वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।



(प्रो. राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक



संजय गान्धी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)

OPTION FORM

I.....Designation.....have been granted
Promotion/MACPS in the pay band & Grade pay of Rs...../Payscale
& Level.....w.e.f.....vide office order
No..... dated.....

I hereby accordingly elect option for pay as under:

1. From the date of next increment
OR
2. From the date of grant of Promotion/MACPS { Tick (✓) whichever is applicabe

I opt option.....

Signature.....

सहमति पत्र /अण्डरटेकिंग

मैं यह सहमति प्रदान करता/ करती हूँ कि यदि कार्यालय आदेश संख्या-
.....दिनांक समयमान वेतनमान/
ए.सी.पी. अथवा अन्य किसी मद (उल्लेख किया जाय) में मेरे वेतन
निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की
स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, सरकार द्वारा मुझे भविष्य में होने
वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांक सम्बन्धित कार्मिक के हस्ताक्षर.....

स्थान नाम.....

पदनाम.....

कर्मचारी पहचान सं०-----

मेरे द्वारा उक्त कार्मिक को वेतन निर्धारण का लाभ शासनादेश संख्या-
2/2025/वे०आ०-2-77/दस-2025-ई०प०क०सं०-1846680 दिनांक-10 फरवरी, 2025 के
प्रस्तर- 7 (i) की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारण एवं सहमति पत्र के सही होने की पुष्टि की जाती है।

हस्ताक्षर

(संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

दिनांक

स्थान